भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. †2911
सोमवार, 21 मार्च, 2022/30 फाल्गुन, 1943 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

आईआरसीटीसी के साथ समझौता ज्ञापन

†2911. श्री गौतम गंभीरः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आईआरसीटीसी के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या पर्यटन क्षेत्र में रणनीतिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संस्थाओं के साथ ऐसे अन्य समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री **(श्री जी. किशन रेड्डी)**

(क): पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने भारतीय रेलवे खानपान पर्यटन निगम लिमिटेड (आईआरसीटीसी) के साथ दो समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

पर्यटन मंत्रालय द्वारा दिनांक 13.09.2021 को भारतीय रेलवे खानपान पर्यटन निगम लिमिटेड (आईआरसीटीसी) के साथ हस्ताक्षर किए गए पहले समझौता ज्ञापन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

i. घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों में तालमेल विकसित करना।
ii. नए पर्यटन उत्पादों का विकास करना।
iii. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में संयुक्त रूप से प्रचार करना।
iv. उत्तर पूर्वी क्षेत्र और जम्मू और कश्मीर पर विशेष ध्यान देते हुए विश्वविद्यालय, स्कूलों और महाविद्यालयों के लिए शैक्षिक दौरों का आयोजन करना।

इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय द्वारा दिनांक 10 नवंबर 2021 को आईआरसीटीसी के साथ हस्ताक्षर किए गए दूसरे समझौता ज्ञापन (एमओयू) में निम्नलिखित उद्देश्यों को समाहित किया गया है :

क. इस समझौता ज्ञापन का प्राथमिक उद्देश्य उन आवास इकाइयों को व्यापक संदृश्यता प्रदान करना है, जिन्होंने आईआरसीटीसी के प्लेटफॉर्म पर आतिथ्य उद्योग के लिए आकलन, जागरूकता और प्रशिक्षण प्रणाली (साथी) पर स्वयं को प्रमाणित किया है।
ख. जो लोग आईआरसीटीसी प्लेटफॉर्म पर हैं और अभी तक आतिथ्य उद्योग के राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस (निधि) और इसी प्रकार 'साथी' पर पंजीकृत नहीं हैं उन्हें स्वयं को 'साथी' पर पंजीकृत कराने के लिए समयबद्ध तरीके से प्रोत्साहित किया जाएगा।
ग. कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और साक्ष्य आधारित और लक्षित नीति उपायों को डिजाइन करने के लिए आवास इकाइयों के बारे में अधिक जानकारी एकत्र करना।
घ. सुरक्षित, सम्मानजनक और टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देना।
ड़. स्थानीय पर्यटन उद्योग को कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए उचित सुरक्षा उपायों के साथ प्रोत्साहित करना, 'निधि' पर पंजीकरण करने और 'साथी' का पालन करने के लिए इकाइयों को जोड़ने, संपर्क करने, प्रोत्साहित करने और पंजीकृत करने के लिए विपणन सहायता प्रदान करना।

(ख) और (ग): पर्यटन क्षेत्र में रणनीतिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षर किए गए ऐसे अन्य समझौता ज्ञापनों (एमओयू) का विवरण निम्नानुसार है:

पर्यटन मंत्रालय ने भारत पर्यटन के प्रचार और विपणन में सहयोग के लिए दिनांक 17.02.2022 को एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जिसके विवरण इस प्रकार हैं:

क). एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड (एएएएल) की भूमिका

क. एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के कार्यालय/ विंडो डिस्प्ले वाले हवाई अड्डों और अन्य स्थानों पर बुकिंग काउंटर पर्यटन मंत्रालय की प्रचार सामग्री/ संपार्श्विक प्रदर्शित/ वितरित करेंगे।
ख. एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड (एएएएल) अपनी उड़ानों में अतुल्य भारत पर प्रचार फिल्मों की स्क्रीनिंग कर सकता है। फिल्में पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाएगी।
ग. एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड समझौता ज्ञापन की वैधता के दौरान वार्षिक आधार पर करों सहित घरेलू मार्गों पर इकोनॉमी क्लास के 50 मानार्थ हवाई टिकट प्रदान करेगा। इन हवाई टिकटों का इस्तेमाल मीडिया, ब्लॉगर्स, टूर ऑपरेटर्स/ट्रैवल एजेंट्स, रोड शो, इवेंट्स, कॉन्टेस्ट विनर्स आदि के लिए किया जा सकेगा।
घ. एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड अपनी प्रचार सामग्री जैसे विज्ञापन, मेलर्स, बिलबोर्ड आदि में अतुल्य भारत और पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई अन्य ब्रांडिंग का संवर्धन करेगा ।

ड़. एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड की वेबसाइट पर पर्यटन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट का हाइपरलिंक प्रदान करेगा।

ख) पर्यटन मंत्रालय (एमओटी) की भूमिका :

क. भारत के पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित या प्रायोजित कार्यक्रमों/ प्रदर्शनियों/ रोड शो/ मेलों और समारोहों में एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड को मानार्थ बूथ स्थान प्रदान करेगा।
ख. पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत में आयोजित किए जा रहे स्टैंड अलोन, अतुल्य भारत रोड शो में अथवा इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूअर ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स (आईएटी ओ), ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (टीएएआई) जैसे ट्रेड एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित रोड शो आदि में भाग लेने के लिए एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड को अनुमति और स्थान प्रदान करेगा।

ग. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के नए मार्गों को बढ़ावा देने के लिए, जहां भी संभव हो, एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड को गैर-वित्तीय सहायता प्रदान करेगा ।
घ.पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित/प्रायोजित चिह्नित प्रचार कार्यक्रमों/रोड शो के लिए मुद्रित प्रचार सामग्री में एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड का 'लोगो' शामिल किया जाएगा।
ड़. भारतपर्यटन कार्यालयों के अधिकारी अपने कार्यालय में एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड से संबंधित प्रचार सामग्री और अन्य जानकारी प्रदर्शित करेंगे।
च.मंत्रालय की वेबसाइट पर एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड (एएएएल) का हाइपरलिंक उपलब्ध कराएगा।

उपरोक्त के अलावा, मंत्रालय ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर 27 सितंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) और रिस्पांसिबल टूरिज्म सोसायटी ऑफ इंडिया (आरटीएसओआई) के साथ भी समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापनों का उद्देश्य एक दूसरे के पर्यटन क्षेत्र में 'स्थिरता पहल' को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने और समर्थन करने के उपायों को शुरू करना और जहां भी संभव हो एक सहयोगी तरीके से काम करना है।

******